**Directives of National Human Rights Commission on Obscene Advertisements**

*98. SHRI JAYANT KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that indecent and downright obscene advertisements are being aired not only on private and foreign TV channels but on Doordarshan also;

(b) whether it is also a fact that the National Human Rights Commission on receiving complaints to this effect have directed Government to inquire into the telecast of 'Dirty' advertisements and explain what steps Government planned to take to end them; and

(c) if so, the action taken by Government in response to the directive of the NHRC?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) Doordarshan telecasts commercial advertisements as per the guidelines prescribed in the Code for Commercial Advertising. The Code inter-alia not permit indecent and obscene advertisements.

(b) and (c) Yes Sir. The National Human Rights Commission have called for a report from the ministry in this regard and they are being apprised of the telecasting norms Doordarshan is following.

**Delay in submission of Fifth Central Pay Commission Report**

*99. SHRI IQBAL SINGH:
SHRI MOHINDER SINGH KALYAN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have delayed the submission of the Fifth Central Pay Commission Report;

(b) if so, the specific reasons therefor; and

(c) what are the main features of the Report and by when it is likely to be implemented in the interest of the Central Government employees?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) In accordance with terms of reference of the Pay Commission, the Commission is required to submit its Report as soon as feasible. The final Report of the Commission is awaited.

(c) In view of the reply to parts (a) and (b) above, question does not arise.

**मुद्रास्फीति की दर**

*100. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:**
**श्री नागमणि:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुद्रास्फीति की दर दो का आंकड़ा पार कर गई है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का ब्यौरा क्या है;

(ग) मूल्य सूचकांकों में निरन्तर वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान अंक दर अंक आधार पर मुद्रास्फीति की साप्ताहिक दर क्या रही;

(ङ) मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि का आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्यों और फुटकर मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(च) सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि रोकने तथा मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जाने का विचार है?

**वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले छह महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू०पी०आई०)

और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी पी आई) (आइ डब्ल्यू) में उतार-चढ़ाव नीचे सारणी I में दर्शाया गया है:—

**सारणी-I**

**आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक**

| | थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1981-82= 100) | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आई०डब्ल्यू०) (आधार 1982-100) |
|---|---|---|
| दिसम्बर, 95 | 300.5 | 319 |
| जनवरी, 96 | 296.6 | 314 |
| फरवरी, 96 | 294.7 | 315 |
| मार्च, 96 | 294.6 | 315 |
| अप्रैल, 96 | 301.0 | 320 |
| मई, 96 | 305.1अ० | उ०न० |
| जून, 96 | 314.0अ० | |

(ग) दिसम्बर, 1995 से जून, 1996 के बीच थोक मूल्य सूचकांक में हुई 4.5 प्रतिशत की वृद्धि एक साधारण वृद्धि है। इस वृद्धि का कुछ भाग, विशेष रूप से फलों और सब्जियों के मामले में, मौसमी प्रकृति का है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर ने भी दिसम्बर, 1995 में 9.7 प्रतिशत से मई, 1996 में 9.3 प्रतिशत की कमी दर्शायी है।

(घ) पिछले छह महीनों के दौरान प्रत्येक सप्ताह के लिए बिन्दु-प्रति-बिन्दु वार्षिक मुद्रास्फीति दर नीचे सारणी-2 में दी गई है।

**सारणी-2**

**बिन्दु प्रति बिन्दु मुद्रा स्फीति दर**

| को समाप्त सप्ताह | सूचकांक (1981-82=100) | मुद्रास्फीति (प्रतिशत) |
|---|---|---|
| 2.12.95 | 298.5 | 7.1 |
| 9.12.95 | 298.1 | 6.5 |
| 16.12.95 | 297.9 | 6.4 |
| 23.12.95 | 297.0 | 6.0 |
| 30.12.95 | 296.8 | 5.8 |
| 6.1.96 | 296.8 | 5.2 |
| 13.1.96 | 297.1 | 4.9 |
| 20.1.96 | 298.1 | 5.0 |
| 27.1.96 | 297.5 | 4.9 |
| 3.2.96 | 297.6 | 4.7 |
| 10.2.96 | 297.7 | 4.4 |
| 17.2.96 | 297.9 | 4.6 |
| 24.2.96 | 298.4 | 4.9 |
| 2.3.96 | 299.3 | 5.1 |
| 9.3.96 | 299.3 | 5.2 |
| 16.3.96 | 299.3 | 5.1 |
| 23.3.96 | 299.5 | 5.0 |
| 30.3.96 | 299.5 | 4.4 |
| 6.4.96 | 301.8 | 4.8 |
| 13.4.96 | 302.5 | 4.9 |
| 20.4.96 | 302.7 | 4.6 |
| 27.4.96 | 304.1 | 5.0 |
| 4.5.96 | 303.5 | 4.6 |
| 11.5.96 | 304.3(अ) | 4.4 |
| 18.5.96 | 304.3(अ) | 4.2 |
| 25.5.96 | 304.3(अ) | 4.1 |
| 1.6.96 | 305.4(अ) | 4.8 |
| 8.6.96 | 306.0(अ) | 4.7 |
| 15.6.96 | 306.2(अ) | 4.5 |
| 22.6.96 | 306.2(अ) | 4.2 |
| 29.6.96 | 306.5(अ) | 4.2 |

(ङ) पिछले छह महीनों के दौरान मुद्रास्फीति की दर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में मुद्रास्फीति की दर में दिसम्बर, 1995 के पहले सप्ताह में 7.1 प्रतिशत से मई, 1996 के पहले सप्ताह में 4.6 प्रतिशत तक गिरावट आई है।

(च) मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:—

(1) भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल और गेहूं की खुले बाजार में बिक्री को जारी रखना।

(2) चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं जैसे चीनी, खाद्य तेल, दालों और निम्न वसा वाले दुग्ध पाउडर

के लिए शून्य या घटे शुल्क पर खुला सामान्य लाइसेंस (ओ॰जी॰एल॰) आयात नीति को जारी रखना।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी॰डी॰एस॰) के जरिए आपूर्ति के लिए सरकारी खाते पर खाद्य तेलों का आयात।

(4) 1995-96 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू-उत्पाद (जी॰डी॰पी॰) के 5.9 प्रतिशत (सं॰ अ॰) पर नियंत्रित करना।

(5) मौद्रिक वृद्धि को उपायों की श्रृंखला के जरिए 1995-96 में 13 प्रतिशत पर बनाए रखना।

(6) अधिकतर वस्तुओं के लिए आयात शुल्कों में कमी सहित एक उदार आयात नीति को बनाए रखना।

**सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को ऋण**

244. **श्री ईश दत्त यादव:**
**श्री नागमणि:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को राज्य-वार कितनी धनराशि का ऋण दिया गया;

(ख) इन ऋणों से राज्य-वार कितने किसान लाभान्वित हुए; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन ऋणों की बैंक-वार स्थिति क्या थी?

**वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्यमंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम)**: (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**Stipend and Loans to Medical and Dental Colleges**

245. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state: the College-wise details of stipend and loans given to medical and dental colleges (private) of the country is execution of Supreme Court's interim order of August, 1995?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Information is being collected and will be laid on the Table of the House to the extent available.

**वसन्त कुंज, दिल्ली में बहुमंजिला मकानों के निर्माण के कारण विमानों को खतरा**

246. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के वसन्त कुंज क्षेत्र में बहुमंजिला मकानों के निर्माण से इन्दिरा गान्धी विमान पत्तन पर उतरने वाले विमानों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या यह क्षेत्र हवाई मार्ग के अन्तर्गत आता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार निर्माण कार्यों को रोकने और निर्मित किए गए मकानों को गिराने की व्यवस्था कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहिम)**: (क) जी, नहीं।

(ख) वसन्तकुन्ज आंशिक रूप से इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली के विमानों के पहुंच मार्ग में पड़ता है।

(ग) जी नहीं। मकान अनुमत्य ऊंचाइयों के अन्दर बने हुए हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

**Visit of Foreign Tourists to various States of India**

247. SHRI MOHINDAR SINGH KALYAN: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) the number of foreign tourists who visited Punjab, Jammu and Kashmir, Assam, Uttar Pradesh and Rajasthan during the last two years; and

(b) the amount of foreign exchange earned from these States during the said period?